(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 25 / 2025 जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 45

1. कपूर सिंह पुत्र श्री दीपचन्द, उम्र 58 साल, जाति मेघवाल, निवासी सी–84 खानपुर कॉलोनी, नई दिल्ली–62

....................वादी

बनाम

1. रामप्यारी पुत्री बेगराज, जाति मेघवाल, निवासी थली, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०
2. शान्ति पुत्री बेगराज, जाति मेघवाल, निवासी थली, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०
3. अमित पुत्र हरिकिशन,
4. कपिल पुत्र हरिकिशन,
5. गुड्डी देवी पत्नि हरिकिशन,
6. मनीष पुत्र हरिकिशन,
7. मनोज पुत्र हरिकिशन,
8. राहुल पुत्र हरिकिशन समस्त जाति मेघवाल निवसीगण थली तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०
9. चरण सिंह पुत्र गुरूदयाल,
10. जितेन्द्र पुत्र गुरूदयाल,
11. भगवती पुत्री गुरूदयाल,
12. सुदेश पुत्री गुरूदयाल समस्त जाति मेघवाल, निवासीगण थली, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०
13. बदायली पुत्री श्योकरण, जाति मेघवाल, निवासी थली, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०
14. शान्ति पुत्री रामकुमार,
15. सुगनी पुत्री रामकुमार समस्त जाति मेघवाल ... तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज०
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बु...ना, जिला झुन्झुनू राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

.................प्रतिवादीगण

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरुस्ती

–निर्णय–   दिनांक– 8/5/25

(1) वादी का वादपत्र रहा कि–

1. यह कि ग्राम थली तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज० स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 127 के हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 2.52 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.52 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 का 3/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 3/16 हिस्सा यानि कि दोनो का कुल 3/8 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 लागयत 15 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या–1 में वर्णित भूमि में वादी ने दिनाक 25.07.2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के 3/8 सम्पूर्ण हिस्से क्रय किया था तथा क्रय करने के पश्चात से ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से पर वादी काबिज काश्त हैं वादी ने उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात अपने नाम से नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का से भी मिला व अपने नाम से नामान्तरण दर्ज करने के लिए विक्रय पत्र की कॉपी पटवारी हल्का को दी। पटवारी हल्का द्वारा वादी के हक में नामान्तरण को दर्ज ना करते हुये उसको बिना किसी उचित काण से खारिज कर दिया जिसका नोट जमाबन्दी में नामान्तरण संख्या 656 दिनाक 20.11.2024 के रूप मे दर्ज हैं।
3. यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या–1 व 2 का सम्पूर्ण 3/8 हिस्सा को जरिये विक्रय पत्र क्रय किया है तथा क्रय करने की दिनांक से ही उक्त भूमि में 3/8 हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त हैं इस प्रकार वादी इस भूमि का खातेदार है। इसलिए वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करवाया जाना आवश्यक हुआ है। इसलिए वादी को उक्त वाद घोषणात्मक खातेदारी पेश करना आवश्यक हुआ है।
4. यह कि वाद पत्र के लिए आधार विवाद वादी द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात अपने नाम से नामान्तरण दर्ज करने हेतु अप्लाई करने के पश्चात भी वादी के नामान्तरण को बिना किसी आधार क खारिज किये जाने के पश्चात वादि को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।
5. यह कि वादी वाद पत्र में दर्ज प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 15 के विरुद्ध कोई अनुतोष नही चाहता है। उनको केवल सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

6. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम थली, तहसील बुहाना, मे स्थित होने से उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।
7. यह कि वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।
8. यह कि वाद पत्र दो प्रतियो मे पेश है।
9. यह कि वाद पत्र नवीनतम रिकोर्ड के साथ पेश है तथा वाद पत्र के समर्थन मे वादी का शपथ पत्र संलग्न है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाके ग्राम थली तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज० स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या 127 के हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 2.52 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.52 हैक्टर मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ किया जाकर वादी को 3/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार विक्रय पत्र के अनुसार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 15 के विरूध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। शेष की बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 05.05.2025 को लाई गई। बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम थली स्थित भूमि हाल खाता संख्या 127 में वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादीयों की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादीगण द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2075–2078, विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि, [illegible] क्षेत्रफल, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर [illegible] स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम थली तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज० स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या 127 के हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 2.52 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.52 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ किया जाकर वादी को 3/8 हिस्से का खातेदार घोषित कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 8/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:54 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 25 / 2025 **जीसीएमएस नम्बर :– 2025 / 45**

कपूरसिंह बनाम रामप्यारी आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम थली तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज० स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या 127 के हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 2.52 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.52 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ किया जाकर वादी को 3 / 8 हिस्से का खातेदार घोषित कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 8/5/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से प्रमाणित कर दी गई।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.23 15:12:54 IST
Reason: SelfAttested